न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/1 दायरा दिनांक : 03.01.2023

उनवान

1 रामलाल पुत्र परथीसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा,
2 बद्रीसिंह पुत्र परथीसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
3 मेहरबान सिंह पुत्र हरीसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
4 विनोद सिंह पुत्र हरीसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
5 तेजा बाई पुत्री हरीसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
6 कृष्णा बाई पुत्री हरीसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिकाया
7 जनस बाई पुत्री हरीसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
8 अर्जुन सिंह पुत्र अर्जुनसिंह, निवासी बाल्दा ,तहसील पिडावा (मृतक) जर्ये कायममुकाम
8/1 तुलसा बाई पत्नी अर्जुनसिंह, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
8/2 राहुल नाबालिग पुत्र अर्जुनसिंह, संरक्षक माता तुलसा बाई, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
8/3 विशाल नाबालिग पुत्र अर्जुनसिंह, संरक्षक माता तुलसा बाई, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
8/4 माया नाबालिग पुत्री अर्जुनसिंह, संरक्षक माता तुलसा बाई, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
9 कमला बाई बेवा राघूसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
10 धापू बाई पुत्री राघूसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
11 लीला बाई पुत्री राघूसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पियवा
12 मुन्ना बाई पुत्री राघूसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
13 धर्म कुंवर पुत्री राघूसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
14 राम कुंवर पुत्री राघूसिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा .... अपीलांट

बनाम

1 नाहर सिंह पुत्र मांगीलाल, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
2 सुल्तान सिंह पुत्र मांगीलाल, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
3 जगदीश सिंह पुत्र नाहर सिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
4 पूजा बाई पत्नी जगदीश सिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
5 प्रताप सिंह पुत्री नारायण सिंह, जाति सोधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा
6 शीला जैन पत्नी जसंवत सिंह जाति जैन, निवासी पिडावा
7 गौरा बाई पत्नी दाउदयाल दम्मानी, जाति महाजन, निवासी पिडावा
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री बृजबिहारी गौचर एवं श्री रामचरण अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 2, 3, 4 एवं
श्री तृप्ति गौरव बाहेती अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 5 व 7 तथा
श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोंडेंट क्रम 6 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.05.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या– 05/2020/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 01.09.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आर्डर 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पिडावा, पटवार हल्का पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड में खाता संख्या 250 का खसरा नं. 54 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख. नं. 295 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 296 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, कुल 3 किता कुल रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा आराजी है। यह आराजी वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है जो वाद में वादग्रस्त आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.09.2022 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।.

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कर दिया था कि खाता संख्या 250 कुल 3 किता कुल रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा आराजी स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट की संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सयुंक्त सम्पत्ति रही है अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट का संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है जिसके मुखिया श्री मांगीलाल पुत्र परथी सिंह रहे है तथा मांगीलाल की उक्त सयुंक्त परिवार के कर्ता रहे है। संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता की हैसियत से तथा अपीलान्ट्स की सहमति से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की आमदनी से दिनांक 05.07.1993 को जर्ये विक्रय पत्र मंजूर अली, नियाज अली, इक्तयार अली, खातून बी से क्रय की थी। बाद खरीद उक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स संयुक्त रूप से कृषि करते चले आ रहे हैं तथा सभी पक्षकार अपनी सुविधा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त सभी तथ्य स्पष्ट हो जाने के बाद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त सम्पत्ति के कब्जे एवं स्वामित्व संबंधी विवाद पाये जाने पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त सम्पत्ति का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की है तथा उक्त सम्पत्ति में कब्जे एवं स्वामित्व के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संबंध में सारभूत प्रश्न का निर्धारण दावे में होता है। इस कारण दावा विचारण रहने के दौरान मौके व रिकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखे जाने के आदेश पारित किया जाना आवश्यक था तथा विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त आराजी का बेचान कर सकते है, जिससे वाद बाहुल्यता बढेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिराजुद्दीन बनाम अब्दुल गफ्फार व अन्य के मामले में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि स्वामित्व संबंधी विवाद के आधार पर उभयपक्षकार को अवरूद्ध करते हुये यथास्थिति के आदेश को न्याय संगत माना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गोगाजी व अन्य बनाम द बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राजस्थान अजमेर के मामले में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है। अपीलांट्स के मामले में भी वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा विद्यमान है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट्स के पक्ष में होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने अपीलांट्स का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को खारिज कर भारी भूल की है। इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 01.09.2022 को निरस्त किया जावे तथा ताफैसला मूल वाद प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाये कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट, प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स के संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के कब्जे काश्त की भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान न करें तथा कृषि आराजी के उपयोग, उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 01.09.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त आदेश के तहत विचारण न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

विचारण न्यायालय ने हिन्दू विधि में दी गई, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को समझे बिना मात्र फोरी तौर पर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है। हिन्दू विधि में एचयूएफ अर्थात् अविभक्त हिन्दू परिवार की व्याख्या की गई है। इसका गठन व्यवसायिक आशय से किया जाता है इसके लिये आपस में किसी भी तरह की लिखित संविदा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हिन्दू परिवार में जन्म लेना ही पर्याप्त होता है। परिवार का ज्येष्ठ पुत्र एचयूएफ हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता होता है जिसे अपने स्तर

(दीप्ति प्रेमचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पर प्रत्येक निर्णय लेने का अधिकार होता है तथा किसी सदस्य से औपचारिक बैठक या सहमति की आवश्यकता नहीं होती। एचयूएफ अपने आप में विधिक व्यक्ति है। एचयूएफ के फण्ड से खरीदी गई समस्त सम्पत्ति एचयूएफ की सम्पत्ति मानी जाती है भले ही वह कर्ता अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर हो। हिन्दू अविभक्त परिवार में कर्ता के अतिरिक्त सभी सदस्य सहदायिक (को पार्सनर) होते हैं तथा हिन्दू अविभक्त परिवार की समस्त सम्पत्ति में सभी सहदायिकों का अधिकार होता है।

हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) में यदि कर्ता अथवा अन्य सहदायिक की मृत्यु भी हो जाती है तो एचयूएफ समाप्त नहीं होता उसे अन्य सदस्य द्वारा जारी रखा जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में भी अपीलॉंट्स के संयुक्त अविभक्त परिवार में मांगीलाल जी कर्ता के रूप में थे तथा अपीलांट्स सहदायिक थे तथा मांगीलाल जी ने अपीलांट्स के परिवार की पैतृक कृषि भूमि व अन्य सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली आय से वादग्रस्त कृषि भूमि दिनांक 05.07.1993 को कय किया था। उक्त कृषि भूमि में अपीलांट्स तथा सभी सहदायिकों का हित व अधिकार निहित था किन्तु कर्ता श्री मांगीलाल जी की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 ने अपीलांट्स की जानकारी के बिना फोती इंतकाल स्वयं के पक्ष में खुलाकर परिवार की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने में लग गये जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट्स को ऐसा करने से निषेध करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया जो नितान्त गलत है।

विचारण न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट को कृषि भूमि खुर्द बुर्द करने से नहीं रोका गया तो अपीलांट्स का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जायेगा। न्यायालय इस बात पर भी विचार नहीं किया कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण रेस्पोडेंट को कृषि भूमि का कोई भी हिस्सा विक्रय करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की है।

नामान्तरकरण ए फिस्कल प्रोसेडिंग है तथा नामान्तरकरण से स्वामित्व के अधिकार तय नहीं होते हैं इस बात की जानकारी होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2022 को अपास्त किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 5 प्रताप सिंह व रेस्पोडेंट कम 7 गौरा देवी ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि खाता संख्या 250 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा आराजी वाके ग्राम पिडावा,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहसील पिडावा, जिला झालावाड श्री मांगीलाल पुत्र परथीसिंह की खाते एवं कब्जे की खरीदशुदा कृषि आराजी थी, जिसे स्वर्गीय श्री मांगीलाल आत्मज श्री परथी सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.07.1993 से खरीद की थी। बाद खरीद मांगीलाल पुत्र श्री परथी सिंह उक्त कृषि आराजी पर काबिज काश्त थे।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा उपरोक्त आराजी के संबंध में कथन किया है कि उक्त भूमि हिन्दू अविभाजित परिवार की संयुक्त सम्पत्ति है, परन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रमाण पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही इसमें यह भी बताना आवश्यक है कि अपीलांट का उक्त कृषि आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ना तो ऐसी कोई तारीख, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया कि उक्त कृषि आराजीयात की खरीद मांगीलाल पुत्र परथीसिंह द्वारा किये जाने के बाद अपीलांट्स व मांगीलाल के मध्य उक्त कृषि आराजी के संबंध में कोई बंटवारा बराबर कृषि आराजी का किया गया हो।

उपरोक्त कृषि आराजी के विधिक स्वामी मांगीलाल पुत्र परथीसिंह की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेंट कम 1 व 2 स्वर्गीय मांगीलाल के विधिक उत्तराधिकारी होने से उपरोक्त कृषि आराजीयात का फौती नामान्तरकरण रेस्पोडेंट कम 1 व 2 के पक्ष में पूर्ण रूप से विधि सम्मत होने से तस्दीक किया गया था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... ★ कोटा ★

उपरोक्त कृषि आराजीयात में अपीलांट का कभी कोई विधिक रूप से हक एवं हकुक नहीं बनता है और ना ही कभी उक्त कृषि आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है और ना ही अपीलांट उक्त भूमि के 1/5 हिस्से में अपना विधिक हित निहित रखते हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपील सादिर फरमाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

रेस्पोडेंट कम 5 प्रतापसिंह आत्मज श्री नारायण सिंह, जाति सोंधिया, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड एवं रेस्पोडेंट कम 7 गौरा बाई पत्नी दाऊदयाल दम्माणी, जाति महाजन, निवासी पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2019 को खरीद की थी, जिसका पंजीयन तहसील कार्यालय पिडावा, जिला झालावाड में दर्ज रजिस्टर्ड है।

रेस्पोडेंट कम 6 प्रतापसिंह एवं रेस्पोडेंट कम 7 गौरा बाई द्वारा खातेदार सुल्तान सिंह पुत्र मांगीलाल, जाति राजपूत, निवासी बाल्दा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड से खाता सं. 250 खसरा नं. 54 रकबा शेष 1.02 हेक्टर में से 0.01 बिस्वा पृथक पृथक रूप से (1–1

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिस्वा) सद्भाविक रूप से विधि सम्मत होने से खरीद की गई थी। उक्त खरीद से ही रेस्पोडेंट कम 5 व 7 उक्त खरीदशुदा आराजी पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 5 व 7 द्वारा खरीद शुदा उक्त आराजी दिनांक 26.03.2019 के पश्चात दुर्भावनापूर्वक दिनांक 07.02.2020 को अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया था, जो कि अपीलांट द्वारा स्वर्गीय मांगीलाल पुत्र परथीसिंह के साथ उक्त आराजी के साथ कभी कोई बंटवारा नहीं होने की स्थिति में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जाना विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है और साथ ही उक्त कृषि आराजी में अपीलांट खातेदार कृषक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूर्ण रूप से विधि सम्मत है, जिसकी अपील सुनने योग्य (मेन्टेनेबल) नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 व 2 के विरूद्ध स्वर्गीय मांगीलाल पुत्र परथीसिंह के पुत्र रेस्पोडेंट कम 1 व 2 उक्त फौती इंतकाल को निरस्त करने के संबंध में किसी भी न्यायालय में कभी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आराजी के खातेदार नहीं होने से और कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

अपीलांट उक्त कृषि आराजीयात को हिन्दू अविभाजित परिवार की संयुक्त सम्पत्ति के संबंध में भी कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, ऐसी स्थिति में उक्त आराजी के संबंध में अपीलांट प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर पाये हैं, ना ही उक्त आराजी में अपीलांट का कभी भी 1/5 हिस्सा साबित करने में एवं कब्जा साबित करने में सफल रहे हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण रूप से विधि सम्मत है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2022 को ता फैसला मूल वाद रेस्पोडेंट के पक्ष में पारित फरमाया जावे। साथ ही अपीलांट्स को पाबन्द फरमाया जावे कि वो रेस्पोडेंट कम 5 व 7 की खरीदशुदा आराजी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि विवादित आराजी 9 बीघा 7 बिस्वा है। नाहर सिंह एवं सुल्तान सिंह के पिता परथी सिंह शामिल में रहते थे। विवादित आराजी को दिनांक 05.07.1993 को खरीद होना बताया। खरीद में पुश्तैनी रूपया लगना बताया। अपील में अपीलांट यह तथ्य लेकर आये है कि विवादित आराजी 9 बीघा 7 बिस्वा हिन्दु अविभाजित

(दीप्ति सुरचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

परिवार की संपत्ति है, इसके बारे में इनके द्वारा लिखित में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। विवादित आराजी सयुंक्त नहीं है। अतः बंटवारे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। हमारे द्वारा जमीन रजिस्ट्री से खरीदी है और यहां रजिस्ट्री भी पेश की हुई है। दिनांक 05.07.1993 में संयुक्त परिवार ही नहीं था। अतः सम्पत्ति सयुंक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में रेस्पोडेंटगण द्वारा आर. आर.टी. 2023(1) पृष्ठ संख्या 428, आर.आर.टी. 2023(1) पृष्ठ संख्या 566, आर.आर.टी. 2020(1) पृष्ठ संख्या 524, आर.आर.टी. 2015(1) पृष्ठ संख्या 633 पेश की है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंटगण के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में सलंग्न नकल विक्रय पत्र दिनांक 05.07.1993 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 के पिता सांगीलाल पिता परथी सिंह ने क्रय की थी। अपीलांट ने उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय करने का क्रथन किया है परन्तु अपने इस कथन की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा ना ही अपने कब्जे को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति के तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2022 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

02/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा